

Reg. No. S / 32056 / 97

ALL INDIA EQUALITY FORUM (Regd.)

अखिल भारतीय समानता मंच (रजि.)

CONSTITUTION / संविधान



R.O. : # 5-51, Fateh Nagar, Jail Road, PO Tilak Nagar, New Delhi - 110 018

Wkg. Office : # 55, 1st Main Road, H.G.H. Layout, Ganganagar, Bengaluru - 560 032

Website : www.aief.co.in,

(M) : 094483 67475, 094483 32309, 094129 99185



CERTIFICATE OF REGISTRATION
SOCIETIES REGISTRATION ACT XXX
OF 1860

No. S/32056 of 1997

I hereby certify that CALL INDIA EQUALITY
FORUM.

N-14/20, DOUBLE STOREY LAJPAT NAGAR N. DELHI

has been registered under the SOCIETIES
REGISTRATION ACT OF 1860 GOVERN
UNDESS BY HAND AT DELHI
on this 9TH day of OCTOBER

one thousand nine
hundred and ninety SEVEN.

Registration Fee of
Rs. 50/- received.

9.10.97
Registrar of Societies
GOVT. OF DELHI
DELHI



Registrar of Societies
Delhi

PLEASE QUOTE THIS NUMBER IN ALL YOUR FUTURE

PREFACE

This organization is agitating against the caste based reservation for the last more than three decades. Originally this organization was working under the name and style of Akhil Bhartiya Soshit Karamchari Sangh and contested court cases of Railway department on the issue of reservation in promotion etc. Due to death and inactiveness of the executive members, struggle against the reservation policy was continued, in the name and style of All India Non scheduled caste / Tribes Rly employees association. It was felt that this name of the association gives wrong message of its working against SC / ST people of India.

A meeting of all like minded associations was called at New Delhi on 12-11-95 to form a common platform to protect fundamental rights of equality and to abolish caste based reservation in India. All the members present in the meeting were of the opinion that caste based reservation also violates fundamental right of Equality and encourage castism Accordingly it was decided to set up an all India level organization in the name and style of All India Equality Forum. This organization has been registered for all over India under the Society act at Delhi under registration No. S / 32056 / 97 dated 09-10-1997.

For many years late Jagadish Rai Agrawalji, Railway department, Bikaner, Rajasthan was the National president. He passed away in 2013. Before his death he handed over the presidentship to me on 18-11-2012. Before taking over as president, I was president of Karnataka Engineers Association in which platform, I fought successfully the Reservation in promotion issue and got a judgement on 19-10-2006 in the case of M. Nagaraj which is now being implemented in some of the states. All India Equality Forum was also Co-applicant in M. Nagaraj case. All most all the courts in India are citing this case while dealing reservation in promotion case. I am trying to visit many places and educating the employees / public about equality principle and seeking co-operation for forming All India Equality Forum branches.

Presently many matters pending in the Supreme Court of India on reservation issues are being contested by this forum.

Our Idiology

**We are Indian by Caste - Our Religion is Nationality
All in one and one in all - is our Speciality**

हमारी विचारधारा

**जाति हमारी भारतीय - धर्म हमारा राष्ट्रीयता
अनेकता में एकता - यह मंच की विशेषता**

M. Nagaraj *ME (IISc), MBA.,*
National President

ALL INDIA EQUALITY FORUM (Regd)

CONSTITUTION OF THE FORUM

1. Name & Title of Organization : The Organization will be known as "All India Equality Forum" or "Akhila Bharatiya Samanta Manch"

2. Address and Date of Formation

(I) Registered office of the Organization : C-51 Fateh Nagar, Jail Road, P.O. Tilak Nagar, New Delhi - 110 018

(ii) Central Office : Same as Registered Office

(iii) Working Office : # 55, 1st Main Road, HGH Layout, Ganganagar, Bengaluru - 560032

(iv) Date of Formation : 12-11-1995 ✓

(3.) Definitions Clause : Specific words and Phrases used in this Constitution will have the meaning as mentioned below :

✓ **A) Active Members** : Means a member who accepts membership of the forum at Tehsil levels on payment of Rs. 1,100/-

B) Central Executive Body : Means an executive body constituted at National level as per provisions contained in Article 7(a) & 12 (d) of this constitution.

C) Central General Body : Means all members of various State executive bodies and all electoral in the Election of the Central President.

D) Division/District/Tehsil : Means Divisions/Districts or Tehsils of State/UT as notified under administrative and revenue laws of the State/UT.

E) Founder Member : Means a member of the Founder Members Body as mentioned in the Annexure A-1 attached to this constitution who have full faith in aims and objects of the forum and have devoted himself whole heartedly in the development of this forum.

F) Founder Member Body : Will mean a body of 11 members as mentioned in the Annexure A-1 attached to this constitution who are fully and whole heartedly devoted to the ideology of the forum and shall be a controlling body on all the executive bodies of the forum.

✓ **G) General Member** : Means a member who accepts membership of the forum at Tehsil level on payment of Rs.200/-

✓ **H) Special Member** : Means a member who accepts membership of the forum at Tehsil/State/National level on payment of Rs.11,000/-, 1,00,000/- or 5,00,000/- respectively.

I) State Executive Body : Means a State/UT Executive body constituted at State/UT level as per provisions contained in Article 7(b) of this Constitution.

J) State/UT : Means States and Union Territories of the Union of India.

K) Tehsil Executive Body : Means an executive body constituted at Tehsil level of the State/UT as per provisions contained in Article 7(c) of this constitution.

L) Zones : Means a cluster of various States/Union Territories constituted for the purpose of organization of the forum as per provisions made in Article 8 of this constitution.

अखिल भारतीय समानता मंच (रजि.)

मंच का संविधान

1. संगठन का नाम व शीर्षक - यह संगठन अखिल भारतीय समानता मंच / ऑल इंडिया इक्वलिटी फोरम के नाम से जाना जायेगा।
2. पता व गठन की तारीख
 - (1) पंजीकृत कार्यालय - सी - 51, फतेह नगर, जेल रोड, पोस्ट ऑफिस तिलक नगर, नई दिल्ली - 110 018
 - (2) केन्द्रीय कार्यालय - सी - 51, फतेह नगर, जेल रोड, पोस्ट ऑफिस तिलक नगर, नई दिल्ली - 110 018
 - (3) कार्यरत कार्यालय - नं. 55, पेहला मुख्य रौड, हेच.जी.हेच. लेआउट, गंगानगर, बेंगलूरु - 560 032
 - (4) गठन की तारीख - 12 / 11 / 1995
3. परिभाषाएं - इस संविधान में जो विशिष्ट शब्दों एवम् शब्द युग्मों का इस्तेमाल किया गया है उनका अर्थ निम्नानुसार रहेगा।
 - ✓(क) सक्रिय सदस्य :- सक्रिय सदस्य का अभिप्राय उस सदस्य से है जिसने मंच की तहसील स्तर की सदस्यता 1100/- रूपये देकर स्वीकार की हो।
 - (ख) केन्द्रीय कार्यकारिणी :- केन्द्रीय कार्यकारिणी से अभिप्राय एक ऐसी कार्यकारिणी से है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर गठन संविधान के अनुच्छेद 7 (ए) व 12 (घ) के अनुसार किया गया हो।
 - (ग) केन्द्रीय महासमिति :- केन्द्रीय महासमिति में विभिन्न राज्य कार्यकारिणीयों के सभी सदस्य तथा केन्द्रीय अध्यक्ष के मतदाता मण्डल के सभी सदस्य शामिल होंगे
 - (घ) मंडल / जिला / तहसील :- मंडल / जिला / तहसील का अभिप्राय राज्य / केन्द्र शास्ति प्रदेश के उन मंडलों / जिलों / तहसीलों से है जो कि प्रशासनिक व राजस्व कानूनों के अधीन अधिसूचित हो।
 - (ङ) संस्थापक सदस्य :- संस्थापक सदस्य से अभिप्राय संस्थापक सदस्य समिति के उस सदस्य से है जो संविधान के साथ संलग्न सूची (अनुलंगक-1) में दर्शाये गये है जिसका इस मंच के लक्ष्य एवं उद्देश्यों में अटूट विश्वास है तथा जिसने स्वयं को हार्दिक रूप से मंच के विकास के लिये समर्पित किया है।
 - (च) संस्थापक सदस्य समिति :- संस्थापक सदस्य समिति से अभिप्राय संविधान के साथ संलग्न सूची (अनुलंगक-1) में दर्शाये उन 11 सदस्यों से है जो पूर्णतया व हार्दिक रूप से मंच की विचार धारा के प्रति समर्पित है तथा यह मंच की सभी स्तरों पर कार्यरत कार्यकारिणीयों पर नियंत्रण रखने वाली समिति होगी।
 - ✓(छ) आम सदस्य :- आम सदस्य से अभिप्राय उस सदस्य से है जो तहसील स्तर पर 200 रूपये का भुगतान करके सदस्यता स्वीकार करता है।
 - ✓(ज) विशेष सदस्य :- विशेष सदस्य से अभिप्राय उस सदस्य से है जो तहसील / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः 11 हजार रूपये, 1 लाख रूपये, 5 लाख रूपये देकर सदस्यता स्वीकार करता है।
 - (झ) राज्य कार्यकारिणी :- राज्य कार्यकारिणी से अभिप्राय उस कार्यकारिणी से है जो राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर संविधान के अनुच्छेद 7 बी के अनुसार गठित की गयी है।

4. Working Hours : Normally working hours shall remain 12 hrs to 20 hrs. On all working days and if necessary on Sunday and other holidays. These timings can be changed by a resolution of the respective Executive Body.

5. Objects :

- (i) The forum will be a social welfare organization of the public in General and for the employees in particular. The organization will be non political in nature.
- (ii) To make every endeavor to protect fundamental right of equality of the citizens of India as guaranteed in the constitution of India.
- (iii) To protect the right of Equality of all citizens of India in the matter of direct recruitment and promotion. In Central, State and other services as defined in article 12 of the constitution of India without any preferential treatment on the basis of caste, creed, sex, status, religion, province and place of birth etc. as per provisions of article 16(2) of the constitution of India.
- (iv) To protect right of citizens of India in the matter of admission in various Colleges of education including professional colleges i.e., Medical, Engineering, Veterinary, Agricultural etc. without any discrimination on the basis of caste, creed, sex, religion, province, place of birth etc.,
- (v) To fight against the caste based reservation in violation of constitutional provisions of Equality before law and equal protection of law. **"This forum will work on the theme that Protection to all and reservation to none."**
- (vi) To maintain efficiency of the nation as guaranteed in Art 335 of the Constitution to encourage a sense of unity, co-operation, sincere devotion to duty and service and brotherhood among the employees/citizens of India irrespective of caste, creed or religion etc.
- (vii) To boost moral values among citizens of India to protect Nation's Interest and eradicate social evils like Corruption of every kind, un-touchability castism, provincialism etc.
- (viii) To ensure equal treatment before law for all citizens of India irrespective of the post, status held by the individual citizens of India.
- (ix) To ensure misuse of special rules/Acts made for the protection of SC/ST.
- (x) To co-operate, co-ordinate or affiliate and unite with other similar bodies/organizations for achieving the above objects.
- (xi) To make efforts to create public voice against national evils like castism, provincialism and corruption etc. so as to maintain unity and brotherhood among citizens of India.
- (xii) And to achieve other objects of the organizations which are in the opinion of the forum necessary to be added, it could be done so under the resolution passed by the Founder Member Body of the forum.

6 Activities of the forum for achieving the object:- For achieving its objects this forum will adopt peaceful, lawful and constitutional means so as to redress the grievances of public in general and of its members in particular.

7 (a) - Central Executive Body :- Central Executive body constituted at National level, shall have following office bearers/Executive members:-

(I) President :- I (one)

(ii) Vice president:- 4(four) - one from each zone.

- (ट) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश :- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश से अभिप्राय भारत संघ के राज्य एवम् केन्द्र शासित प्रदेशों से है।
- (ठ) तहसील कार्यकारिणी समिति :- तहसील कार्यकारिणी समिति से अभिप्राय ऐसी कार्यकारिणी समिति से है जो की संविधान के अनुच्छेद 7 सी के अनुसार प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के तहसील स्तर पर गठित की गयी है।
- (ड) क्षेत्र (जोन) :- क्षेत्र (जोन) से अभिप्राय विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के उस समूह से है जो मंच के संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये गठित किया गया है।
4. कार्यकारी समय :- संगठन का कार्यकारी समय दोपहर 12 बजे से सायं 20 बजे तक सभी कार्य दिवसों पर रहेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो रविवार व अन्य चुट्टियों के दिन भी कार्य हो सकेगा। इस समय को कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव के अनुसार बदला भी जा सकेगा।
5. उद्देश्य :-
- (i) यह मंच जनता के लिये आम तौर पर व कर्मचारियों के लिये विशेष रूप से एक समाजिक कल्याणकारी संगठन होगा तथा यह संगठन पूर्णतया गैर राजनैतिक होगा।
- (ii) भारत के संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के समानता के अधिकारों की रक्षा के लिये हर सम्भव प्रयास करेगा।
- (iii) केन्द्र / राज्य एवम् अन्य सेवायें जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित है के मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार बिना किसी जाति/ नस्ल/ लिंग/ धर्म/ प्रांत/ जन्म स्थान आदि के भेदभाव के भारतीय नागरिकों के समानता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा।
- (iv) विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवम् व्यवसायी कॉलेजों जैसे कि मेडिकल / इंजिनियरिंग पशु चिकित्सा खेती आदि में प्रवेश के लिये भारतीय नागरिकों की बिना किसी जाति/ नस्ल/ लिंग/ धर्म/ प्रांत/ जन्म स्थान आदि के भेदभाव के अधिकारों की रक्षा करेगा।
- (v) संविधान में प्रदत्त कानून के समझ समान तथा कानून की समान रक्षा संबंधी प्रावधानों के विरोध में चल रहे जातिगत आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करना। यह मंच की कार्य प्रणाली "संरक्षण सभी को और आरक्षण किसी को नहीं" पर आधारित होगी।
- (vi) संविधान के अनुच्छेद 335 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार राष्ट्र की कार्य कुशलता को कायम रखा जायेगा तथा भारतीय नागरिकों / कर्मचारियों में एकता, सदभाव, कर्तव्य निष्ठा एवम् भाई चारे को बिना किसी जातिय, नस्ल व धर्म आदि के आधार पर प्रोत्साहित किया जायेगा।
- (vii) समाजिक बुराईया / हर प्रकार के भ्रष्टाचार, छुआछूत, जातिवाद व प्रान्तीय वाद आदि को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हेतु भारतीय नागरिकों के नैतिक मूल्यों में बढोतरी की जायेगी।
- (viii) बिना किसी पद एवम् हैसियत के भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को कानून के समान का व्यवहार सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ix) अजा / जजा की सुरक्षा हेतु बनाये गये विशेष नियमों एवम् कानूनों के दुरुपयोग करने को सुनिश्चित करना।
- (x) उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये समान विचार धारा वाले संगठनों से सहयोग सामाजस्य या सम्बद्धता एवम् जुड़ाव करना।
- (xi) जातिवाद / प्रान्तीय - वाद / भ्रष्टाचार जैसी राष्ट्रीय बुराईयों के प्रति जनजागरण उत्पन्न कर भारतीय नागरिकों की एकता व भाई चारा को कायम रखना।
- (xii) अन्य कोई ऐसा लक्ष्य जो संघटन की राय में आवश्यक हो उसको जोड़ा जा सकेगा परन्तु ऐसा करने के लिये संस्थापक सदस्यों की समिति से प्रस्ताव पारित करवाना आवश्यक होगा।
6. उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मंच की गतिविधियाँ :- यह मंच आम जनता विशेषकर अपने सदस्यों की शिकायतों को दूर करने के लिये तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु, विधि सम्मर्त एवम् शांतिपूर्ण संविधानिक तरीकों का सहारा लेगा।

- (vi) **Treasurer:-** 1 (One)
- (vii) **Executive Members:-** all State/UT Presidents will be executive members of the Central Executive.
- (viii) The President shall have powers to nominate a working president as and when required to help him in his working.

7(b) - State Executive Body:- State Executive Body constituted at State/UT level shall have following office bearers/ Executive members.

- (i) **President:-** 1 (One)
- (ii) **Vice president :-** As per Number of Divisions in the State/UT. One from each Division.
- (iii) **General Secretary :-** 1(One)
- (iv) **Secretary:-** As per Number of districts of the State, One from each District.
- (v) **Treasurer:** 1(One)
- (vi) **Organizing Secretary:-** One from each division of the State
- (vii) **Executive Members:-** One from each District
- (viii) State president will have powers to nominate a working president of the state as and when required to help him in his working.

7(c)-Tehsil Executive Body:- Tehsil Executive body constituted at Tehsil level shall have following office bearers/executive members.

- (i) **President:-** 1
- (ii) **Vice President :-** 1
- (iii) **General Secretary:-** 1
- (iv) **Secretary :-** 5
- (v) **Organizing Secretary :-** 1
- (vi) **Treasurer:-** 1
- (vii) **Executive Members:-** 5

✓ **8- Zones:-** For the purpose of organizational set up, this forum will have four zones in India. i.e. North, South, East and West. These zones shall consist of various states/ UT of India. The Names of the States in Each Zone shall be decided by the Central Executive Body as per resolution adopted by them.

9- Powers and Functioning of the Executive bodies at Central, State or Tehsil level:- Normally the central /State/Tehsil Executive bodies will function as per their resolutions adopted by them. However in case of urgent necessities the president or the General Secretary (with the consent of president) of respective executive body shall be empowered to take any action or to issue any direction to fulfill the objectives of the forum subject to confirmation of the executive body at a later stage.

10 - Functioning of the Founder Members Body :- An 11 members body shall be a controlling body on all the executive bodies of the forum at all levels. Any decision taken by the Founder Members Body shall be binding on all the executive bodies of the forum. Any vacancy occurring in the list of 11 members, the same could be filled up by a resolution to be passed by a simple

7. (A) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति :- राष्ट्रीय स्तर पर गठित केन्द्रीय कार्यकारिणी की बोडी में निम्न पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य होंगे।
- (i) अध्यक्ष :- 1 (एक)
 - (ii) उपाध्यक्ष :- 4 (चार) प्रत्येक क्षेत्र से एक
 - (iii) महासचिव :- 1 (एक)
 - (iv) संगठन सचिव :- 4 (चार) प्रत्येक क्षेत्र से एक
 - (v) सचिव :- भारत के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की संख्या के अनुसार प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश से एक
 - (vi) कोषाध्यक्ष :- 1 (एक)
 - (vii) कार्यकारिणी सदस्य :- सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी के कार्यकारी सदस्य होंगे।
 - (viii) अध्यक्ष को अपने कार्य में मदद के हेतु एक कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने का अधिकार होगा।
7. (B) राज्य कार्यकारिणी समिति :- राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर गठित कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी / कार्यकारिणी सदस्य होंगे।
- (i) अध्यक्ष :- 1 (एक)
 - (ii) उपाध्यक्ष :- राज्य में मंडलों की संख्या के अनुसार प्रत्येक मंडल से एक
 - (iii) महासचिव :- 1 (एक)
 - (iv) सचिव :- राज्य के जिलों की संख्या के अनुसार प्रत्येक जिले से एक।
 - (v) कोषाध्यक्ष :- 1 (एक)
 - (vi) संगठन सचिव :- राज्य के प्रत्येक मंडल से एक
 - (vii) कार्यकारिणी सदस्य :- प्रत्येक जिले से एक
 - (viii) प्रदेशाध्यक्ष को अपने कार्य में मदद हेतु एक कार्यकारी अध्यक्ष को मनोनीत करने का अधिकार होगा।
7. (C) तहसील कार्यकारिणी :- तहसील स्तर पर गठित कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य होंगे।
- (i) अध्यक्ष :- 1 (एक)
 - (ii) उपाध्यक्ष :- 1 (एक)
 - (iii) महासचिव :- 1 (एक)
 - (iv) सचिव :- 5 (पांच)
 - (v) संगठन सचिव :- 1 (एक)
 - (vi) कोषाध्यक्ष :- 1 (एक)
 - (vii) कार्यकारिणी सदस्य :- 5 (पांच)
8. जोन (क्षेत्र) :- संगठनात्मक ढांचे के लिये इस मंच के भारत में चार जोन होंगे। जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम होंगे। इन जोनों के विभिन्न राज्य / केन्द्रीय शासित प्रदेश शामिल होंगे। प्रत्येक जोन में राज्यों के नामों का निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा होगा।

majority of all the total remaining founder members subject to a condition that the member so appointed shall be a renowned devotee to this forum and shall have full faith in aims and objects of this forum. The founder member shall also be an ex-officio special invitee to any executive body at Central, State or Tehsil level. In case if any resolution /decision taken by any executive Body which, in the opinion of the Founder Members Body, is against the objective of the forum, can be vetoed by the Founder Members Body at any time.

11- Advisory committees:- There will be two advisory committees of the forum at divisional and district level:-

(i) Divisional Advisory Committee:- It will work at each division. All Tehsil presidents in a division along with state vice president, State secretaries State organizing secretary and State executive members who belong to the respective division shall be member of the committee. State vice president from the respective divisions shall be the Ex officio president of that Divisional Advisory Committee. The Committee will forward their recommendations to the executive body at state level and work as per the directions of the state Executive body.

(ii) District Advisory Committee:- It will work at each district. This committee will consist of all Tehsil Presidents in a district, State Secretary and executive member of respective district in the state body. The State Secretary from the respective district will be an ex officio president of the district level advisory committee. This committee will forward their recommendations on the activities of the forum to the committee at divisional level and will work as per the direction of the state executive body or divisional advisory committee.

12- Election procedure:- Election will be held after every 3 years only for the post or president of the Central, State/UY, Tehsil Executive body.

(A) Electorate:- All the members of every State/UT Executive Bodies along with the Central Special Members will be included in the list of Electorate for Central president, Similarly all the Tehsil Presidents along with the state Special members will be included in the list of electōrate for State Presidents and in case of election of all Tehsil Presidents, special members, Active Members, and General Members of respective Tehsil shall be included in the list of Electorate.

(B) Election Officer & Election procedure : The Founder Members body will nominate the Election officer for the election of Central President. The Central President will nominate the election officers for the election of State President. The State President will nominate the election officers for the election of the Tehsil Presidents. The Election officers will decide the election programme and procedure, in consultation with the office bearers who nominate them.

(C) Oath of Office : After being declared elected the president will take an oath to the effect that he will remain loyal and faithful towards the aims and objects of the forum and will work within the frame work of the Constitution.

(D) Nomination of office bearers : The elected/nominated presidents shall be empowered to nominate the executive bodies as per provisions contained in Article 7 of the Constitution. Office bearers so nominated must be a Special / Active / General Member of the forum.

13. Nomination of Adhoc President : The Founder Members Body shall be empowered to nominate the Adhoc President of the Central Executive body till the proper election is held. Similarly the Central President shall be empowered to nominate any State President and State President shall be empowered to nominate any Tehsil President till the time of proper election.

9. केन्द्रीय / राज्य एवम् तहसील कार्यकारिणी के अधिकार एवम् कार्य विधि :- आम तौर पर केन्द्र / राज्य व तहसील कार्यकारिणी अपने द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार कार्य करेगी। फिर भी तात्कालिक किसी आवश्यकता में संबंधित कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष अथवा महासचिव (अध्यक्ष की सहमति से) मंच के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई भी कार्य करने के अथवा निर्देश जारी करने को अधिकृत होगा। परन्तु ऐसे किये गये कार्य को बाद में कार्यकारिणी से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।
10. संस्थापक सदस्य समिति की कार्यविधि :- 11 सदस्य संस्थापक सदस्यों की समिति मंच की हर स्तर पर कार्यरत कार्यकारिणी समितियों पर नियंत्रण रखने वाली एक समिति होगी। संस्थापक सदस्यों की समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को सभी कार्यकारिणीयों मानने को बाध्य होगी। इस 11 सदस्य समिति में स्थान रिक्त होने पर शेष बचे कुल सदस्यों के बहुमत के आधार पर रिक्त पद को भरा जा सकेगा। परन्तु शर्त यह रहेगी कि जिस सदस्य की नियुक्ति की जाये वह मंच के प्रति प्रख्यात समर्पित व्यक्ति हो तथा मंच के लक्ष्य एवम् उद्देश्यों पर पूरा विश्वास रखता हो। प्रत्येक संस्थापक सदस्य केन्द्रीय, राज्य एवम् तहसील स्तर की कार्यकारिणीयों में एक विशेष आमंत्रित सदस्य होगा। यदि किसी भी कार्यकारिणी ने कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया / निर्णय किया जो संस्थापक सदस्य समिति की राय में मंच के लक्ष्यों के विपरीत होगा। उसे संस्थापक सदस्य समिति किसी भी समय वीटो करके निरस्त कर सकेगी।
11. सलाहकार समितियाँ :- मंडल एवम् जिला स्तर पर मंच की दो सलाहकार समितियाँ होंगी।
- (1) मंडल सलाहकार समिति :- यह प्रत्येक मंडल पर कार्य करेगी। मंडल के सभी तहसील अध्यक्ष, राज्य उपाध्यक्ष, राज्य सचिव, राज्य संगठन सचिव एवम् राज्य कार्यकारिणी सदस्य जो कि उस मंडल से संबंधित होंगे, इस समिति के सदस्य होंगे। मंडल से संबंधित राज्य उपाध्यक्ष मंडलीय सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। यह समिति अपनी सिफारिशें राज्य स्तर पर कार्यरत कार्यकारिणी समिति को भेजेगी तथा राज्य कार्यकारिणी के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
- (2) जिला सलाहकार समिति :- यह प्रत्येक जिले में कार्य करेगी। इस समिति में एक जिले के सभी तहसील अध्यक्ष, राज्य सचिव एवम् राज्य कार्यकारिणी में संबंधित जिले का कार्यकारी सदस्य इसके सदस्य होंगे। संबंधित जिले का राज्य सचिव जिला स्तरीय सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। यह समिति अपनी सिफारिशें मंडलीय सलाहकार समिति को भेजेगी तथा मंडलीय सलाहकार समिति या राज्य कार्यकारिणी की समिति के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।
12. चुनाव प्रक्रिया :- प्रत्येक 3 वर्ष के बाद केन्द्र, राज्य, केन्द्रीय शासित प्रदेश व तहसील अध्यक्षों का चुनाव होगा।
- (क) मतदाता मंडल :- प्रत्येक राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश के कार्यकारिणीयों के सभी सदस्य तथा केन्द्रीय स्तर के विशेष सदस्यों को केन्द्रीय अध्यक्ष के चुनाव के मतदाता मंडल सूची में शामिल किया जायेगा। इसी प्रकार सभी तहसील अध्यक्ष तथा राज्य स्तर के विशेष सदस्यों को प्रान्तीय अध्यक्ष के चुनाव की मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा। तहसील अध्यक्ष के चुनाव में संबंधित तहसील के विशेष सदस्य, सक्रिय सदस्य तथा आम सदस्यों को मतदाता मंडल सूची में शामिल किया जायेगा।
- (ख) चुनाव अधिकारी एवम् चुनाव प्रक्रिया :- संस्थापक सदस्य समिति, केन्द्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिये चुनाव अधिकारी को मनोनीत करेगी। केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रान्तीय अध्यक्ष के चुनाव के लिये चुनाव अधिकारी मनोनीत करेगा। प्रान्तीय अध्यक्ष तहसील अध्यक्षों के लिये चुनाव अधिकारी को मनोनीत करेगा। चुनाव अधिकारी उन्हें मनोनीत करने वाले पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके चुनाव का कार्यक्रम एवम् प्रक्रिया तय करेंगे।
- (ग) पद की शपथ :- निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष अपने पद की शपथ इस प्रकार लेगा की वह मंच के लक्ष्य एवम् उद्देश्यों के प्रति वफादार एवम् ईमानदार रहेगा तथा मंच के संविधान के अनुसार कार्य करेगा।
- (घ) पदाधिकारियों का नामांकन :- निर्वाचित / मनोनीत अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणीयों को संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार मनोनीत करने के लिये अधिकृत होंगे। ऐसा करते समय यह ध्यान रखना होगा कि मनोनीत पदाधिकारी मंच का अनिवार्य रूप से विशेष, सक्रिय अथवा आम सदस्य हो।

14. Tenure of Executive Bodies : The Tenure of the Central / State / Tehsil executive bodies will be three years. However in case of abnormal circumstances, this tenure can be extended for a further period of maximum two years, under a resolution to be adopted by the Central Executive Body.

15. Management of funds : (A) The Amount received towards membership shall be distributed in the ratio of 60% and 40% i.e., 60% shall be kept by the State unit and 40% shall be sent to Central body.

(B) The amount collected by way of membership fees shall be kept in fixed deposits and it could not be spent for any purpose. However the executive bodies shall be free to spend the interest amount so received on the fixed deposits, for any purpose.

(C) The amount collected for a particular purpose shall be spent for the same purpose. However in case of any emergency such amount could be spent for other purposes subject to approval by the respective executive body.

16. Meeting of the forum : Each State or Tehsil executive body will meet at least once in three months or as and when called by the President or the General Secretary. All Decisions of the Committee shall be taken by a Majority of Members present. In case of Central Executive body, the executive committee shall meet at least once in six month or as and when called by the president or the Secretary General.

17. Corum of the meeting : (a) One Third of the office bearers and executive members shall form a corum to transact any business of the forum and to take decisions by the majority of members present.

(b) In case of inadequate corum, the meeting shall be adjourned for an hour. The body will re assemble on expiry of one hour and transact the business.

The decisions so taken by the Executive body in the meeting shall be binding on all concerned.

18. Account : The Central as well as State or Tehsil Executive Bodies shall maintain accounts of the forum and these accounts shall be audited by a Chartered Accountant within a period of six months from the date of the closing of Accounts.

(a) Financial year of Accounts will be st April to 31st March of each year.

(b) The Executive Bodies (Central/State/Tehsil) will open a Bank Account in any Scheduled Bank of India.

(c) Treasurer and President or Secretary General / General Secretary of the Central / State / Tehsil Executive bodies respectively shall operate the Bank Account.

(d) The balance sheet of the forum having income & expenditure account shall be published for information of all concerned in proper way and means as deemed fit. However each member shall be at liberty to obtain a copy of Bye Laws and other documents etc., on payment of Rs. 200/- or as much amount as declared by Central Executive Body from time to time.

19. Power to fill up any Vacancies of Executive Body : Respective President of Central, State or Tehsil Executive Body will be empowered to fill up any vacancy in their Executive bodies.

20. Preparation and filing of returns : President and the Secretary General / General Secretary will be responsible for preparation and filing of such records, annual or other statements as specified in the relevant Act/Rules within prescribed time to the concerned authorities.

13. तदर्थ अध्यक्ष का मनोनयन :- विधिवत् चुनाव होने तक संस्थापक सदस्य समिति तदर्थ आधार पर केन्द्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष को मनोनीत करने के लिये अधिकष्ट होगी। इसी प्रकार नियमित चुनाव होने तक केन्द्रीय अध्यक्ष राज्य स्तर के अध्यक्ष को तथा राज्य स्तर का अध्यक्ष तहसील स्तर के अध्यक्ष को मनोनीत करने के लिये अधिकृत होंगे।
14. कार्यकारिणियों का कार्यकाल :- केन्द्रीय राज्य / तहसील स्तर की कार्यकारिणियों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। परन्तु विशेष परिस्थिति में केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत इस कार्यकाल को 2 वर्ष के लिये और बढ़ाया जा सकेगा।
15. धन की व्यवस्था :-
- (क) सदस्यता शुल्क के रूप में मिलने वाली धनराशि को 60 व 40 प्रतिशत में बांटते हुये 60 प्रतिशत राशि राज्य ईकाई अपने पास रखेगी तथा 40 प्रतिशत राशि केन्द्र को भेजेगी।
- (ख) सदस्यता शुल्क से प्राप्त राशि को बैंको में सावधी जमा के रूप में रखा जायेगा तथा इस राशि को किसी अन्य उद्देश्य के लिये खर्च नहीं किया जा सकेगा। परन्तु सावधी जमा से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि को सभी कार्यकारिणी किसी भी कार्य के लिये खर्च कर सकेगी।
- (ग) विशेष आयोजन के लिये संग्रहित किया गया धन उसी आयोजन पर खर्च किया जायेगा। परन्तु आपातकाल में आवश्यक होने पर संबंधित कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत यह राशि अन्य प्रयोजनों के लिये भी खर्च की जा सकेगी।
16. मंच की मिटिंग :- प्रत्येक राज्य और तहसील कार्यकारिणी की बैठक 3 माह में एक बार होगी अथवा जब भी अध्यक्ष या महासचिव द्वारा बुलाई जाये। कार्यकारिणी में सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होंगे। केन्द्रीय कार्यकारिणी के मामले में यह मिटिंग 6 माह में एक दफा होगी अथवा जब भी अध्यक्ष या महासचिव द्वारा बुलाई जाये।
17. मिटिंग के लिये कोरम :-
- (क) कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवम् सदस्यों का एक तिहाई भाग मिटिंग का कोरम माना जायेगा तथा मिटिंग में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय करने एवम् अन्य कार्यवाही कर सकेंगे।
- (ख) उपर्याप्त कोरम होने के कारण मिटिंग 1 घंटे के लिये स्थगित कर दी जायेगी तथा 1 घंटे के बाद समिति के सदस्यों के पुनः इकट्ठा होने पर वही सदस्य कोई भी निर्णय अथवा कार्यवाही कर सकेंगे। कार्यकारिणी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।
18. हिसाब किताब :- केन्द्रीय अथवा राज्य व तहसील कार्यकारिणी मंच का हिसाब किताब रखेगी और यह हिसाब वर्ष खत्म होने के 6 माह के अंदर अंदर चार्टर्ड एकाउंटेंटों से ऑडिट करवायेगी।
- (क) हिसाब के लिये वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।
- (ख) कार्यकारिणी (केन्द्रीय / राज्य / तहसील) भारत के किसी भी अधिसूचित बैंक में अपना खाता खोलेगी।
- (ग) केन्द्रीय / राज्य / तहसील कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त अध्यक्ष अथवा महासचिव (किन्ही दो के हस्ताक्षरो से) बैंक खाते में लेनदेन कर सकेंगे।
- (घ) आय ओर व्यय का ब्यौरा व बैलेस सीट सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ सही ढंग से प्रकाशित की जायेगी। मंच का कोई भी सदस्य संविधान व अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिये 100 रूपये अथवा ऐसी राशि जो केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित की गई होके जमा कराने पर प्राप्त कर सकेंगे।
19. कार्यकारिणी के रिक्त पदों को भरने का अधिकार :- केन्द्र / राज्य व तहसील कार्यकारिणी के संबंधित अध्यक्ष को कार्यकारिणी के रिक्तपद को भरने का अधिकार होगा।

21. Conducting of Annual General Meeting : An Annual General Meeting of the forum (Central/State) will be held on the dates specified by the Central Executive Body. A 21 days notice for every such meeting shall be given to all concerned. The Secretary General/General Secretary will issue the notice. The notice shall specify the date, time, place of the meeting as well as agenda of the meeting. In the Annual General Meeting all the Members of the Central General Body shall be called in the meeting.

22. Extra Ordinary General Meeting : On the requisition received from 1/4th of the members of the Executive Body in writing the executive body shall have to call an extra ordinary general meeting of the forum within 30 days after receipt of such requisition.

23. Removal of Executive Member / Office Bearer : Any office bearer of Tehsil / State / Central Executive, if found engaged in such activities which are against the aims and objects of the forum or he/She disobeys the direction of his superior authority, may be removed by the President who had nominated him / her subject to a condition that he shall be served with a show cause of notice to clarify his position within 15 days from the date of receipt of the notice.

24. Duties of Office Bearers :

(A) President :

- (i) He will chair all the meetings of the respective executive body / General body.
- (ii) He will maintain discipline during the meetings.
- (iii) He will sign the minutes of the meeting.
- (iv) He will be responsible for all expenses and verification of vouchers.

(B) Vice President :

- (i) He will chair the meeting in absence of the President.
- (ii) Central Vice President will act as a guide to the Central Organizing Secretaries for promoting the interests of the forum and observe the functioning of the State Bodies in the respective Zones. He will be an ex-officio special invitee in each meeting of State / UT Executive Body falling in his Zone.
- (iii) State Vice President will be an ex-Officio President of the Divisional Advisory Committee of his allotted division. He will promote the activities of the forum in his respective divisions.

(C) Secretary General / General Secretary :

- (i) He will attend all correspondence.
- (ii) He will write the minutes of the meetings.
- (iii) He will be responsible for expenses and verification of vouchers.
- (iv) He will be over all in charge of all the official activities of the forum.

(D) Organizing Secretary :

Central, State / Tehsil Organizing Secretary will make best endeavor to promote organizational set up of the forum in their respective Zones / Divisions or Tehsil under the guidance of his concerned Vice President. He will ensure maximum motivation of aims and objects of the Forum.

20. विवरणियाँ तैयार करना व प्रस्तुत करना :- अध्यक्ष व महासचिव वार्षिक विवरणियाँ अथवा ऐसा रिकॉर्ड जो किसी नियमों के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक हो, तैयार करने एवम् निश्चित समयावधि में प्रस्तुत करने के लिये उत्तर दायी होंगे।
21. वार्षिक आम सभा आयोजित करना :- केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित तिथि पर एक आम सभा (केन्द्रीय व प्रांतीय) आयोजित की जायेगी। इसके लिये प्रत्येक मिटिंग के लिये 21 दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा। महासचिव / सचिव यह नोटिस जारी करेगे। इस नोटिस में तारीख समय व स्थान अथवा मिटिंग में विचारणीय एजेण्डा दर्शाया जायेगा। इस आम सभा में केन्द्रीय महा समिति के सभी सदस्य आमंत्रित रहेंगे।
22. असाधारण आम सभा :- कार्यकारिणी के एक चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित में प्रस्ताव मिलने पर प्रत्येक कार्यकारिणी को प्रस्ताव के मिलने के 30 दिनों के अंदर अंदर एक असाधारण आम सभा बुलानी होगी।
23. कार्यकारी सदस्य अथवा पदाधिकारी को हटाना :- तहसील / राज्य / केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के किसी भी ऐसे पदाधिकारी को जो कि मंच के लक्ष्य एवम् उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने अथवा अपने उच्च अधिकारी की निर्देशों की अवहेलना करते हुये पाया जाये तो ऐसे पदाधिकारी को अध्यक्ष द्वारा जिसने ऐसे पदाधिकारी का मनोनीत किया है, को कारण बताओं नोटिस देकर हटाया जा सकेगा।
24. पदाधिकारियों के कर्तव्य :-
- (A) अध्यक्ष :-
1. संबंधित कार्यकारिणी / आमसभा की बैठको की अध्यक्षता करेगा।
 2. मिटिंग के दौरान वह अनुशासन बनाये रखेगा।
 3. मिटिंग से संबंधित लिखी गयी कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेगा।
 4. वह सभी प्रकार के खर्चों एवम् वाउचरों के सत्यापन के लिये उत्तरदायी होगा।
- (B) उपाध्यक्ष :-
1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह मिटिंग की अध्यक्षता करेगा।
 2. केन्द्रीय उपाध्यक्ष मंच के हितों में बढोतरी करने तथा संबंधित जोन (क्षेत्र) की राज्य इकाईयों की कार्यप्रणाली की देखभाल करने के उद्देश्य से मार्ग निर्देशक का कार्य करेगा। वह प्रत्येक जोन में पडने वाली राज्य / केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यकारिणी की मिटिंग में पदेन विशेष आमंत्रित सदस्य होगा।
 3. प्रांतीय उपाध्यक्ष मंडलीय सलाहकार समिति में पदेन अध्यक्ष होगा तथा वह संबंधित मंडल में मंच की गतिविधियों को बढावा देगा।
- (C) राष्ट्रीय महासचिव / महासचिव :-
1. वह सभी पत्राचार को देखेगा।
 2. कार्यवाही रजिस्ट्रर में मिटिंग की कार्यवाही लिखेगा।
 3. वह सभी प्रकार के खर्चों एवम् वाउचरों के सत्यापन के लिये उत्तरदायी होगा।
 4. वह मंच की सभी प्रकार की गतिविधियों का प्रभारी होगा।
- (D) संगठन सचिव :- केन्द्रीय / प्रांतीय / तहसील स्तर के संगठन सचिव अपने जोन / मंडल व तहसील स्तर पर संबंधित उपाध्यक्ष के मार्ग निर्देश के अनुसार मंच संगठनात्मक ढांच में वृद्धि करने का हर संभव प्रयास करेंगे। वह मंच के लक्ष्यों एवम् उद्देश्यों को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को सुनिश्चित करेंगे।

(E) Treasurer :

- (i) He will issue receipts of all the amount of subscription, donation and contribution etc.,
- (ii) He will maintain proper account of the forum and prepare balance sheet of the forum for every financial year and arrange audit of the account.

(F) Secretaries :

- (i) Secretaries in Central Executive Body will work as a central representative in their respective State / UT and will be an ex-officio special invitee in each meeting of the State / UT Executive Body.
- (ii) Secretaries in State Executive Body will act as an ex-officio President of the District Advisory Committee of his Respective District.
- (iii) Secretaries in Tehsil Executive bodies will perform their duties in respective Tehsil to promote the interest and activities of the Forum.

(G) President of any Executive body will be empowered to constitute special committees for any specific field, department, area or objective. This special committee will perform the duties as per the directions of respective President. Similarly the president of any executive body may direct any office bearer or member of the forum to perform any duty to full fill the objectives of the Forum.

25. Amendment of the Constitution : Central Executive Body will be empowered to amend the constitution of the forum as and when required without disturbing the basic ideology of the Forum. Amendment resolution will be passed by a simple majority of the total membership of the Central Executive Body. Any such amendment resolution will be effective only after the approval of the Founder Members Body.

26. Affiliation of other Organization : On an application made by any other like minded association / Society for affiliation with this forum shall be considered by the Central Executive Body. In case of acceptance of the application by the Cental Executive Body, such organization / Society shall be affiliated with this forum on a payment of Rs. 10,000/- towards affiliation fees.

27. Winding up of the Forum : The Forum may be dissolved / wound up by a resolution of general body in the annual special meeting approved by majority of the total members of the Central General Body. All affairs of the forum including assets and liabilities shall be settled in the way recommended by the majority of the total members of the Central General Body that is total members of the Electorate for the Central President.

28. Date of operation of the constitution : This constitution will come into force from the date of its publication. The Life members already registered prior to the publication of the amended constitution, shall enjoy the rights which were available to them at that time.

Note : 1) Approved and accepted in the General Body Meeting held at New Delhi on 20.05.2007.

2) Amendment to clause, 1(iii), 3 (G) and 26 are approved and accepted in the GB meeting held at new Delhi on 20-07-2014

(E) कोषाध्यक्ष :- वह चंदे / दान व सहयोग के रूप में मिली राशियों की रसीद जारी करेगा वह मंच का सही हिसाब किताब रखेगा तथा प्रत्येक वर्ष के आय व्यय के ब्यौरे के अतिरिक्त बैलेंस सीट तैयार कर इसकी विधिवत् लेखा परीक्षा (ऑडिट) करायेंगे।

(F) सचिव :-

1. केन्द्रीय कार्यकारिणी में सचिव राज्य / केन्द्रीय शासित क्षेत्र की कार्यकारिणी की मिटिंग में केन्द्रीय प्रतिनिधि के रूप में पदेन विशेष आमंत्रित सदस्य होगा।
2. प्रान्तीय कार्यकारिणी में सचिव संबंधित जिले की सलाहकार समिति में पदेन अध्यक्ष होगा।
3. तहसील कार्यकारिणीयों में सचिव मंच की गतिविधियों को अपनी संबंधित तहसील में बढ़ाकर अपने कर्तव्यों की पालना करेंगे
(G) किसी भी कार्यकारिणी का अध्यक्ष किसी भी निश्चित क्षेत्र, विभाग आदि के लिये विशेष समितियों का गठन करने के लिये अधिकृत होगा। यह विशेष समितियाँ संबंधित अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करेगी। इसी प्रकार किसी भी कार्यकारिणी का अध्यक्ष अपने किसी भी पदाधिकारी व सदस्य को मंच के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई भी निर्देश दे सकेगा।
25. संविधान में संशोधन :- केन्द्रीय कार्यकारिणी मंच की मूल विचार धारा को व्यथित किये बगैर, आवश्यकता पड़ने पर मंच के संविधान में संशोधन करने के लिये अधिकृत होगी। कोई भी संविधान संशोधन केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकेगा। ऐसा कोई भी संविधान संशोधन तभी प्रभावी माना जायेगा जब यह संस्थापक सदस्य समिति द्वारा स्वीकृत कर लिया जाये।
26. अन्य संगठनों से अनुबंध :- समान विचारा धारा वाले किसी भी संगठन / सोसायटी द्वारा मंच से, सम्बद्धता करने संबंधी प्रार्थना पत्र पर केन्द्रीय कार्यकारिणी विचार करेगी। केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के बाद ऐसे संगठन से इस मंच को 10 हजार रुपये शुल्क के रूप में भुगतान करने पर ऐसे संगठन को मंच से समबद्धता उचित प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
27. मंच का समापन :- इस मंच की विशेष आम सभा की बैठक में केन्द्रीय महा समिति के कुल सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसार समापन कर दिया जायेगा। समापन संबंधी सभी मामले जिसमें अर्जित सम्पति एवम् देनदारी शामिल है को केन्द्रीय महासमिति की सिफारिश के अनुसार तय कर दिया जायेगा। केन्द्रीय महासमिति के सदस्य वही होंगे जो कि केन्द्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिये मतदान के पात्र है।
28. मंच के संविधान को लागू करने की तारीख :- मंच का यह संशोधित संविधान इसके प्रसारित होने की तारीख से लागू माना जायेगा। इस संशोधित संविधान से पूर्व पंजीकृत सभी आजीवन सदस्यों के वे अधिकार जो की इस संविधान के लागू होने से पहले भोगे जा रहे थे, यथावत् बने रहेंगे।

नोट :- मंच की नई दिल्ली आयोजित बैठक दिनांक 20.05.2007 और 20.07.2014 में पारित एवं स्वीकृत।

List of Founder Members of the Forum

Sl.No	Name	Place	Phone No.
1.	Sh. Jugraj Soni	Bikaner	09829655118
2.	Sh.R.S.Shukla	Dehradun	09358136988
3.	A.K.Patel	Ahemadbad	079727602754
4.	Sh. K.K.Goyal	Chandigarh	017272612293
5.	Sh. B.S.Rajpurohit	Bikaner	09414351028
6.	Sh. Shyamlal Sharma	Ambala	09416224370
7.	Sh. Rajendra.K.Bhatnagar	Bikaner	09414193234
8.	Sh.Mangeram Ji Sharma	Gurgoan	09810025267
9.	Sh.Chander Mohan Singh	Jodhpur	029172547523
10.	Sh.Suresh Chander Mishra	Rewari	09416183463
11.	Sh.Jagdish Rai Agrawal	Bikaner	09414140920

Central Body Office Bearers

Sl.No	Name	Disignation	Phone No.
1.	Sh.M.Nagaraj	National President	09448367475
2.	Sh.S.D.Timmegowda	Treasurer	09448332309
3.	Sh.Vinod Prakash Nantiyal	Secretary General	09412999185

Zones of the Forum Constituted as per provisions of Article 8 of the Constitution

North Zone : J&K, Himachal Pradesh Chandigarh, Hariyana, Punjab, Delhi & Uttaranchal.

South Zone : M.P., A.P., Karnataka, Tamilnadu, Kerala, Pandecheri & Chattisgarh.

East Zone : Up., Bihar, Orrisa, West Bengal, Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tripura

West Zone : Rajasthan, Gujrat, Maharashtra & Goa.

* * * * *

मंच के संस्थापक सदस्यों की सूची :

क्र. सं.	नाम	स्थान	मोबाईल नं.
1.	श्री जुगराज जी सोनी	बीकानेर	09829655118
2.	श्री आर एस शुक्ला	देहरादुन	09538136988
3.	श्री ए के पटेल	अहमदाबाद	079-27602754
4.	श्री के के गोयल	चंडीगढ़	0172-2612293
5.	श्री भवानी शंकर राजपुरोहित	बीकानेर	09414351028
6.	श्री श्याम लाल शर्मा	अम्बाला	09416224370
7.	श्री राजेन्द्र कुमार भटनागर	बीकानेर	09414193234
8.	श्री मांगेराम जी शर्मा	गुडगांव	9810025267
9.	श्री चंद्र मोहन सिंह	जोधपुर	0291-2547523
10.	सुरेश चन्द्र मिश्रा	रेवाड़ी	09416183463
11.	श्री जगदीशराय अग्रवाल	बीकानेर	09414140920

केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी

क्र. सं.	नाम	पद	मोबाईल नं.
1.	एम. नागराज	राष्ट्रीय अध्यक्ष	09448367475
2.	एस. डि. तिम्लेगौड	कोषाध्यक्ष	09448332309
3.	वि. पि. नौटियाल	राष्ट्रीय महासचिव	09412999185

मंच के संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार गठित जोन

- उत्तरी जोन :- जम्मू एण्ड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व उत्तरांचल
- दक्षिणीय जोन :- मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिनाडु, केरला, पांडेचरी व छत्तीसगढ़।
- पूर्वी जोन :- उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, नागलैंड, मणीपुर, मेघालय,
- त्रिपुरा पश्चिमी जोन :- राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा